नरेश गिरी

बनाम

मध्यप्रदेश राज्य

12 नवम्बर, 2007

(डॉ. अरिजीत पसायत और पी. सदाशिवम, जे.जे.)

दंड संहिता 1860:

धारा 302, 304 ए, 279 और 337- रेलवे क्रॉसिंग के पास यात्रियों को लेकर जा रही बस को ट्रेन ने टक्कर मार दी- यात्रियों को चोट लगी और दो की मौत- चालक पर धारा 302 के तहत् आरोप विरचित किया गया और वैकल्पिक रूप से धारा 304, 325 और 323 भारतीय दंड संहिता के आरोप विरचित किए गए। चालक का मामला यह है कि रेलवे क्राॅसिंग मानव रहित है और ट्रेन के इंजन ने बस के पिछले हिस्से को टककर मार दी, इस प्रकार धारा 302 लागू नहीं; अभिनिर्धारित किया गया कि तथ्यों के आधार पर आरोप तय होने के बाद किसी भी स्तर पर आरोप बदले जा सकते हैं। धारा 302 लागू नहीं; इसलिए आरोपों को 279, 337 के साथ धारा 304 ए भारतीय दण्ड संहिता में बदल दिया गया।

धारा 304 ए के निर्धारण की प्रयोज्यता; धारा 304 ए उतावलेपन और लापरवाही से किए गए कार्यों पर लागू होती हैं, जो सीधे मृत्यु का कारण बनते हैं-मृत्यु का कारण बनने का ना तो कोई आशय होना चाहिए और ना ही ज्ञान-लापरवाही और उतावलापन धारा 304 ए के आवश्यक गुण हैं।

शब्द एवं वाक्यांशः 'लापरवाही , 'लापरवाह'-का अर्थ।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, अपीलकर्ता जब सवारियों से भरी बस को लेकर

जा रहा था तो रेलवे क्रॉसिंग पर रेलवे लाईन को क्रॉस करती हुई बस को ट्रेन ने टक्कर मार दी। ट्रेन से टकरा कर बस बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गयी तथा परिणामस्वरूप कई सवारियां घायल हो गयी और दो सवारियों की मृत्यु हो गई। प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई एवं अनुसंधान पूर्ण होने पर वाहन चालक के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता 1860 के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया। वैकल्पिक रूप से 304, 325, 323 भारतीय दण्ड संहिता के तहत् आरोप विरचित किये गये। अपीलार्थी ने आरोपों पर सवाल उठाते हुये पुनरीक्षण याचिका दायर की। उच्च न्यायालय द्वारा उक्त पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी गई, जिस पर यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपीलार्थी की ओर से यह तर्क दिया गया कि मानवरहित रेलवे क्राॅसिंग पर ट्रेन का इंजन बस के पिछले हिस्से से टकराया था, जिससे यह दर्शित होता है कि अपीलार्थी की ओर से कोई स्पष्ट लापरवाही नहीं हुयी थी। जैसा कि अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री से प्रकट होता है कि अपीलार्थी से निर्णय में त्रुटि हुयी है। तथ्य यह है कि रेलवे इंजन बस के पिछले हिस्से से टकराया था, जो दर्शाता है कि अपिलार्थी की इसमें कोई स्पष्ट लापरवाही नहीं थी। अतः धारा 302 लागू नहीं होती है।

प्रत्यर्थी राज्य की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया है कि तथ्य यह है कि अपीलार्थी से सवारियों ने रेलवे लाईन को पार नहीं करने के लिये कह रहे थे, इसलिये अपीलार्थी का यह कृत्य उतावलेपन और लापरवाही का है कि उसके द्वारा आवश्यक सावधानी तथा सतर्कता नहीं बरती गई।

न्यायालय द्वारा अपील स्वीकृत करके अभिनिर्धारित किया कि :

1.1 अभिनिर्धारित किया गया कि धारा 304 ए भारतीय दण्ड संहिता तब लागू होती है, जबकि उस कृत्य से मृत्यु कारित करने का कोई आशय तथा ज्ञान नहीं रहा हो कि उक्त किये गये कृत्य से मृत्यु कारित होने की पूर्ण संभावना है। यह प्रावधान

धारा 304 ए के अपराध को धारा 399 एवं 300 भारतीय दण्ड संहिता के दायरे से बाहर करता है। धारा 304 ए भारतीय दण्ड संहिता तब लागू होती है जब उतावलेपन एवं लापरवाही से किया गया कृत्य सीधे ही किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का कारण बनता हो। लापरवाही एवं उतावलापन (जल्दबाजी) धारा 304 ए भारतीय दण्ड संहिता के आवश्यक तत्व है। उतावलेपन व लापरवाही से किये गये कृत्य से मृत्यु कारित होना एक विशिष्ट अपराध का कारक है, जो धारा 299 भारतीय दण्ड संहिता के तहत गैर इरादतन हत्या तथा धारा 300 भारतीय दण्ड संहिता के तहत् हत्या की श्रेणी में नहीं आता है। यदि कोई व्यक्ति भीड़ के मध्य जानबूझकर वाहन चलाता है जिसके कारण कुछ व्यक्तियों की मृत्यु कारित होती है तो यह कृत्य उतावलेपन और लापरवाही का नहीं होकर गैर इरादतन हत्या का होगा। कोई कृत्य इस आशय और ज्ञान से करना कि किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित हो जाये, गैर इरादतन हत्या का अपराध है। जब धारा 304ए के साथ आशय और ज्ञान रखते हुए आवश्यक बल प्रयुक्त किया जाता है तो यह गैर इरादतन हत्या का गम्भीर आरोप बन जाता है। इस धारा के प्रावधान लापरवाही एवं उतावलेपन से गाडी चलाने तक सीमित नहीं है। लापरवाही एवं उतावलेपन का कोई भी कृत्यु जो किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है, दण्डित किए जाने योग्य है। किसी व्यक्ति के अपराध को स्थापित करनेके लिए उतावलेपन/लापरवाही में से कोई भी एक अथवा दोनों तथ्य साबित करना आवश्यक है कि उतावलेपन से कार्य करने के कारण उक्त व्यक्ति की मृत्यु कारित हुई है। लापरवाही एवं उतावलेपन धारा 304ए भारतीय दण्ड संहिता के तहत् दण्डनीय है, इसका ड्राइविंग से कोई लेना-देना नहीं है। मतिष्क की एक अवस्था के तहत् अपराध कारित हो जाता है। यद्यपि निर्णय लेने में कोई त्रुटि नहीं है लेकिन खतरा उठाने के लिए मन में कोई विचार विमर्श चल रहा होता है कि इसमें किसी व्यक्ति का जीवन खो सकता है तथा परिणामस्वरूप अपराध कारित हो जाता है। धारा 304ए भारतीय दण्ड संहिता इस

अपराध को इस आधार पर आपराधिक मनःस्थिति से अलग करता है कि इसमें उद्देश्य अथवा आशय नहीं था, किन्तु उतावलेपन और लापरवाहीपूर्ण उद्यम किसी अन्य की मृत्यु का कारण बन सकता है। इसमें मृत्यु हो जाना निश्चित कारक नहीं है। [पैरा 06 और 07] [991-सी, डी, ई, एफ, जी, 992-ए, बी]

1.2 लापरवाह का अर्थ है असावधानी, बेपरवाह, या किसी के कृत्य के संभावित हानिकारक परिणामों की परवाह न करना है। यह माना जाता है कि यदि कार्य करने से पहले कर्ता द्वारा मामले पर विचार किया गया होता, तो उसे यह स्पष्ट होता कि इसके प्रासंगिक हानिकारक परिणाम होने का वास्तविक जोखिम था; लेकिन यह मान लिया, लापरवाही मन की पूरी स्थिति को बनाती है, जिसमें उन हानिकारक परिणामों का कोई जोखिम है या नहीं, इस बारे में बिल्कुल भी विचार करने में विफल होने से लेकर जोखिम के अस्तित्व को पहचानने और फिर भी इसे अनदेखा करने का निर्णय लेने तक शामिल है। [पैरा 12] [994-ई, एफ]

सैयद अकबर बनाम कर्नाटक राज्य **{1980} 1 एसएससी 30, से संदर्भित।**

निदेशक लोक अभियोजन बनाम कैम्पलीन, **(1978) 2 ऑल ईआर 168;** एन्ड्रयूज बनाम निदेशक लोक अभियोजन **(1937) 2 ऑल ईआर 552;** आर. बनाम ब्रिग्गस **(1977) 1 ऑल ईआर 475;** आर. बनाम काल्डवेल, **(1981) 1 ऑल ईआर 961;** और आर. बनाम लाॅरेन्स **(1981) 1 ऑल ईआर 974;** से संदर्भित।

इंग्लैंड के हेल्सबरी के कानून {चैथा संस्करण} खंड 34 पैराग्राफ 1; केनीज की आउटलाइनस् ऑफ क्रिमिनिल लाॅ, 19 वां संस्करण (1966) पृष्ठ 38; अमेरिकन लाॅ इंस्टीट्यूट के कानून का पुर्नकथन (1934) खंड प्रथम; और फ्लेमिंग की लाॅ ऑफ टाॅर्टस् पृष्ठ 124 ऑस्ट्रेलियन पब्लिकेशन (1957), से संदर्भित।

2. उच्च न्यायालय ने सही निर्धारित किया है कि आरोप तय होने के बाद किसी

भी स्तर पर बदले जा सकते है, लेकिन उक्त मामले में प्रथम दृष्टया आईपीसी की धारा 302 लागू नहीं होती। आरोपों को आईपीसी की धारा 279 और 337 के साथ धारा 304 ए आईपीसी में बदल दिया गया है। [पैरा 14 और 15] [996-बी]

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकारः आपराधिक अपील संख्या 1530/2007।

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर खण्डपीठ, ग्वालियर 2005 के आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 765 में पारित अन्तिम निर्णय और आदेश दिनांक 26/06/2006 से।

एस.के. दुबे, राजूल श्रीवास्तव और अनिल श्रीवास्तव अपीलार्थी की ओर से।

विकास उपाध्याय और बी.एस. बांठिया प्रतिवादी की ओर से।

न्यायालय का निर्णय डॉ. अरिजीत पसायत, जे. द्वारा सुनाया गया।

1. अपील स्वीकृत।

2. इस अपील में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के माननीय एकल जज के द्वारा आपराधिक पुनरीक्षण याचिका को अपीलार्थी द्वारा चुनौती दी गई।

3. संक्षेप में प्रकरण के तत्थ इस प्रकार हैः-

29/08/2004 को बस नम्बर MP0 10588 आरोली से कैलारस के लिए जा रही थी। जब बस एक रेलवे क्राॅसिंग के निकट थी, दुर्घटना कारित हो गई। एक ट्रेन रेलवे क्राॅसिंग पर बस से टकरा गई जो कि अपीलार्थी द्वारा चलाई जा रही थी। उक्त बस बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई परिणामस्वरूप दुर्घटना में कुछ सवारियां चोटग्रस्त हुई तथा दो व्यक्तियों भागोली उर्फ भगवती एवं अंकुश की मृत्यु हो गई। बृजमोहन शर्मा कांस्टेबल द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई। अनुसंधान पूर्ण होने के पश्चात आरोप पत्र (चालान) पेश किया गया। धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता एवं विकल्प में धारा 304, 325 एवं धारा 323 भारतीय दण्ड संहिता के तहत आरोप विरचित किए

गए। विरचित आरोपों को संशोधित करने हेतु पुनरीक्षण याचिका दायर की गई। अपीलार्थी का तर्क था कि प्रकरण में तथ्यों को देखते हुए धारा 302 आईपीसी उक्त अपराध पर लागू नहीं होती है। उच्च न्यायालय द्वारा तर्क को स्वीकार नहीं किया गया। ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई जिससे यह साबित होता हो कि अपीलार्थी का सवारियों की हत्या करने का आशय नहीं रहा हो। उच्च न्यायालय ने मत अभिव्यक्त किया कि उपलब्ध सामग्री के आधार पर आरोपित विरचित किए गए थे और अपीलार्थी का आशय साक्ष्य एकत्र कर प्रस्तुत किए जाते वक्त देखा गया था।

4. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि दुर्घटना रेलवे क्रा ॅसिंग के पास हुई जो मानवरहित थी। रिका ॅर्ड पर उपलब्ध सामग्री से प्रकट होता है कि ट्रेन का इंजन बस के पिछले हिस्से से टकराया। अन्ततः यह अपीलकर्ता की ओर से निर्णय की त्रुटि हो सकती है और यह तथ्य कि इंजन पीछे के हिस्से टकराया, यह दर्शाता है कि अपीलकर्ता की ओर से कोई स्पष्ट लापरवाही नहीं थी। इसलिए धारा 302 आईपीसी प्रयुक्त करने का कोई औचित्य नहीं है और अधिक से अधिक यह आईपीसी की धारा 304 ए हो सकती है।

5. प्रत्युत्तर में प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि यह तथ्य कि यात्री अपीलकर्ता से रेलवे लाईन पार नहीं करने के लिए कह रहे थे, यह दर्शाता है कि लापरवाही थी और अपीलकर्ता उचित देखभाल और सावधानी के बिना उतावलेपन और लापरवाही से काम कर रहा था।

6. आईपीसी की धारा 304 ए उन मामलों पर लागू होती है जहां मृत्यु कारित करने का कोई आशय नहीं है और इस बात का कोई ज्ञान नहीं है कि किया गया कार्य पूरी संभावना के साथ मौत का कारण बनेगा। यह प्रावधान आईपीसी की धारा 299 और 300 के दायरे के बाहर के अपराधों पर निर्देशित है। धारा 304 ए केवल ऐसे कृत्यों

पर लागू होती है जो जल्दबाजी और लापरवाही से किए गए हो और सीधे तौर पर किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता हो। धारा 304 ए के तहत लापरवाही और उतावलापन आवश्यक तत्व है।

7. धारा 304 ए एक विशिष्ट अपराध को परिभाषित करती है जहां मृत्यु लापरवाही से या लापरवाही से किए गए कार्य के कारण होती है और वह कृत्य धारा 299 के तहत गैर इरादतन हत्या या धारा 300 के तहत हत्या की श्रेणी में नहीं आता है। यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर भीड़ के बीच में मोटर वाहन चलाता है और किसी व्यक्ति के मृत्यु का कारण बनता है, तो वह केवल तेज गति और लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला नहीं होगा और यह कृत्य गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में आयेगा। किसी व्यक्ति को मारने के आशय से कोई कृत्य करना या यह जानना कि कृत्य करने से किसी व्यक्ति की मृत्यु होने की संभावना है, गैर इरादतन हत्या है। जब आशय या ज्ञान अधिनियम की प्रत्यक्ष प्रेरक शक्ति है, तो धारा 304 ए को गैर इरादतन हत्या के गम्भीर और अधिक गम्भीर आरोप के लिए जगह बनानी होगी। इस धारा का प्रावधान तेजगति या लापरवाही से गाड़ी चलाने तक ही सीमित नहीं है। कोई भी उतावलापन या लापरवाही भरा कार्य जिसके कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, दण्डनीय हो जाता है। दो तत्व जिनमें से कोई एक या दोनों किसी आरोपी के अपराध को स्थापित करने के लिये साबित हो सकते है, वे हैं, उतवलापन/लापरवाही। एक व्यक्ति उतावलेपन या लापरवाही से किये गये कार्य से मृत्यु का कारण बन सकता है, जिसका ड्राइविंग से कोई लेना-देना नहीं हो सकता है। लापरवाही एवं उतावलापन दण्डनीय होगा। धारा 304 ए का''

निर्णय में किसी त्रुटि के कारण नहीं, बल्कि मन में विचार-विमर्श के कारण उत्पन्न होती है, जिससे अपराध के साथ-साथ उस व्यक्ति का जीवन भी खतरे में पड़ जाता है, जो परिणामस्वरूप अपना जीवन खो सकता है। अपराध का धारा 304 ए से पता चलता

है कि आपराधिकता यह हो सकती है कि किसी आपराधिक आशय के अलावा कोई उद्देश्य या आशय नहीं हो सकता है फिर भी कोई व्यक्ति ऐसी जल्दबाजी या लापरवाही का जोखिम उठा सकता है या उद्यम कर सकता है जो दूसरे की मृत्यु का कारण बन सकता है। इस प्रकार हुई मृत्यु निर्धारण कारक नहीं है।

8. लापरवाही क्या होती है, इसका विश्लेषण हैल्सबरी के इंग्लैण्ड के कानून (चैथा संस्करण) खण्ड 34 पैराग्राफ 1 (पैरा3) में इस प्रकार किया गया हैः

> "लापरवाही एक विशिष्ट अपराध है और किसी भी परिस्थिति में वह सावधानी/सतर्कता बरतने में विफलता है, जिसकी परिस्थितियां मांग करती है। लापरवाही की मात्रा प्रत्येक विशेष मामले के तथ्यों पर निर्भर करती है। इसमें कुछ ऐसा करने से चूकना शामिल हो सकता है जो किया जाना चाहिए या ऐसा करना जिसे या तो अलग तरीके से किया जाना चाहिए या बिलकुल नहीं किया जाना चाहिए। जहां सावधानी बरतने का कोई कर्तव्य नहीं है, सामान्य अर्थ में लापरवाही का कोई कानूनी परिणाम नहीं है, जहां सावधानी बरतने का कर्तव्य है, उचित सतर्कता बरतनी चाहिए ऐसे कार्याे का या चूक से बचने के लिए आवश्यक कदम उठाये जाने चाहिए, जिनमें व्यक्तियों या सम्पति को शारीरिक चोट लगने की उचित संभावना हो सकती है। विशेष मामले में आवश्यक सावधानी की डिग्री आसपास की परिस्थितियों पर निर्भर करती है, और होने वाले जोखिम की मात्रा के अनुसार भिन्न हो सकती है। संभावित चोट की भयावहता को कम करने के लिए जोखिम की मात्रा को कम से कम होना चाहिए। देखभाल का कर्तव्य केवल उन व्यक्तियों के लिए है, जो संभावित खतरे के क्षेत्र में हैं, यह तथ्य है कि प्रतिवादी के कार्य ने किसी तीसरे व्यक्ति के प्रति के

सतर्कता के अपने कर्तव्य का उल्लंघन किया है, यह साबित नहीं करता है कि वादी भी उसी कृत्य से घायल हुआ है, दावा वह तभी कर सकता है जब तक कि वह संभावित खतरे के क्षेत्र में ना हो। उसी कार्य या चूक के अनुसार कुछ परिस्थितियों में लापरवाही बरतने का दायित्व शामिल हो सकता है, हालांकि अन्य परिस्थितियों में ऐसा नहीं होगा। मामले की परिस्थितियों में उपलब्ध सामग्री के आधार पर वादी के प्रति प्रतिवादी की ओर से सावधानी की अनुपस्थिति और वादी को हुई क्षति के साथ-साथ दोनों के बीच कारण और प्रभाव का एक स्पष्ट संबंध है।"

9. इस संदर्भ में केनी के आउटलाइन्स ऑफ क्रिमिनल लॉ, 19 वें संस्करण (1966) के पृष्ठ 38 पर निम्नलिखित अश को उपयोगी रूप से नोट किया जा सकता है:

"फिर भी कोई व्यक्ति बगैर ध्यान दिए किसी घटना को अंजाम दे सकता है, उसने यह नहीं सोचा होगा कि उसके कार्यो का यह परिणाम होगा और यह उसके लिए आश्चर्य के रूप में सामने आयेगा। यह घटना हानिरहित या हानिकारक हो सकती है, यदि हानिकारक हो, सवाल उठता है कि क्या इसके लिए कोई कानूनी दायित्व है। टॉर्ट ने, (सामान्य कानून में) यह इस बात पर विचार करके तय किया जाता है कि क्या समान परिस्थितियों में एक विवेकशील व्यक्ति को नुकसान की संभावना का एहसास हुआ होगा और उसने इससे बचने के लिए अपने कार्य को रोक दिया होगा या बदल दिया होगा। यदि एक सामान्य प्रज्ञा का व्यक्ति को ऐसा नहीं करता है, तो कोई दायित्व नहीं है और नुकसान वही होना चाहिए जो हुआ है। लेकिन यदि सामान्य विवेकशील व्यक्ति ने नुकसान से बचा लिया होता तो दायित्व है और

नुकसान के लिए लापरवाही का दोषी कहा जाता है। 'लापरवाही' शब्द का उपयोग केवल ऐसी दोषपूर्ण असावधानी को दर्शाने के लिए किया जाना चाहिए, और जिस व्यक्ति ने अपनी लापरवाही के माध्यम से दूरे को नुकसान पहुंचाया है, और पीडित को इसकी क्षतिपूर्ति करने के कानूनी दायित्व के तहत है, जो क्षति के लिए अपकृत्य में उस पर मुकदमा कर सकता है। लेकिन अब यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि आम कानून में असावधानी से होने वाले नुकसान के लिए कोई आराधिक दायित्व नहीं है। इसे बार-बार गै गैर इरादतन हत्या के लिए आधिकारिक रूप से निर्धारित किया गया है। मन की दो अवस्थाऐ है, जो मनःस्थिति का निर्माण करती है और वह है आशय और लारवाही। असावधानी और लापरवाही के बीच का अन्तर सावधानी और असावधानी के बीच का अन्तर है, इसका विरोध किया जाता है और यह सुझाव देना एक तार्किक भ्रांति है कि लापरवाही- उपेक्षा क्षा/असावधानी की एक डिग्री है। वकीलों की सामान्य आदत 'लापरवाही शब्द को कुछ नैतिक विशेषण जैसे कि दुष्ट, घोर या दोषी साथ जोड़ना है। यह सबसे दुर्भाग्यपूर्ण रहा है क्योंकि इससे अनिवार्य रूप से विचार और सिद्धांत में बड़ा भ्रम पैदा हुआ है। आपराधिक लापरवाही की बात करना भी उतना ही भ्रामक है क्योंकि यह केवल खुद को समझाने के लिए एक अभिव्यक्ति का उपयोग करना है।''

10. 'लापरवाही', अमेरिकन लॉ इंस्टीट्यूट (1934) द्वारा प्रकाशित खंड 1 टॉर्ट्स के कानून का पुनर्कथन करता है। धारा **28** ''ऐसा आचरण है जो नुकसान के अनुचित जोखिम के खिलाफ दूसरों की सुरक्षा के लिए स्थापित मानक से नीचे आता है।'' लॉ ऑफ टॉर्ट्स में पृष्ठ 124 (ऑस्ट्रेलियाई प्रकाशन 1957) में फलेमिंग ने कहा है कि

आचरण के इस मानक को आम तौर पर इस बात से मापा जाता है कि सामान्य विवेकशील व्यक्ति उन परिस्थितियों में क्या करेगा। लोक अभियोजन निदेशक बनाम कैम्पलीन (1978) 2 ऑलईआर 168 में लार्ॅड डिप्लार्ॅक द्वारा यह अवलोकन किया गया है कि ''विवेकशील व्यक्ति उकसाने के कानूनों में तुलनात्मक रूप से देरी से आया था। 19 वीं शताब्दी के पूर्वाद्ध में जैसे ही लापरवाही का कानून उभरा, यह कानून द्वारा आवश्यक सावधानी के मानक का मानव रूपी अवतार बन गया। सावधानी, तर्कसंगतता या पूर्वानुमानशीलता जैसी कानून की अमूर्तताओं को वस्तुनिष्ठ बनाने के लिए सामान्य विवेक वाले व्यक्ति का अविष्कार आचरण के मानक के एक मार्ॅडल के रूप में किया गया था, जिसके अनुरूप सभी पुरूषों का होना आवश्यक है।

11. सैयद अकबर बनाम कर्नाटक राज्य, (1980) 1 एससीसी 30 में यह माना गया था कि ''जहां लापरवाही अपराध का एक अनिवार्य घटक है, अभियोजन पक्ष द्वारा स्थापित की जाने वाली लापरवाही दोषपूर्ण या घोर होनी चाहिए, न कि लापरवाही केवल निर्णय की त्रुटि पर आधारित हो, जैसा कि एंड्रयूज बनाम सार्वजनिक अभियोजन निदेशक (1937) 2 ऑल ईआर 552 में लार्ॅड एटकिन द्वारा बताया गया है, सावधानी की साधारण कमी जिसमें कि नागरिक (सिविल) दायित्व का गठन होगा, पर्याप्त नहीं है। आपराधिक कानून के तहत् दायित्व के लिए बहुत उच्च स्तर की लापरवाही को साबित करने की आवश्यकता है। संभवतः सभी विशेषणों जिन्हें 'लापरवाही हेतु लागू किया जा सकता है, मामले में लगभग सम्मिलित है।''

12. शब्दकोष के अर्थ के अनुसार 'लापरवाह' का अर्थ है परवाह न करना या किसी के कार्यों के संभावित हानिकारक परिणामों की परवाह न करना। यह माना जाता है कि यदि कार्य करने से पहले कर्ता द्वारा मामले पर विचार किया गया होता, तो उसे यह स्पष्ट होता कि इसके प्रासंगिक हानिकारक परिणाम होने का वास्तविक जोखिम था, लेकिन देखा गया है कि लापरवाही मन की स्थितियों की पूरी श्रृंख्ला को बनाती है, उन

हानिकारक परिणामों का कोई जोखिम है या नहीं, इसके बारे में बिलकुल भी विचार करने में विफल होने से लेकर, जोखिम के अस्तित्व को पहचानने और फिर भी इसे अनदेखा करने का निर्णय लेने तक। आर बनाम ब्रिग्स (1977) 1 ऑल ईआर 475 में यह देखा गया है कि एक व्यक्ति आवश्यक अर्थो में लापरवाह होता है जब वह जानबूझकर कोई कार्य करता है, यह जानते हुए कि उस कार्य के परिणामस्वरूप नुकसान का कुछ जोखिम है, लेकिन फिर भी वह उस कृत्य का प्रदर्शन जारी रखता है।

13. आर. बनाम काल्डवेल (सुप्रा) के निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया गया कि- फिर भी यह तय करने के लिए कि क्या कोई व्यक्ति 'लापरवाह' रहा है, क्या उसके कार्य से किसी विशेष प्रकार के हानिकारक परिणाम होंगे, जैसा कि उसके वास्तव में ऐसे हानिकारक परिणामों का इरादा करने से अलग है, इस पर कुछ विचार करने की आवश्यकता है कि सामान्य विवेकशील व्यक्ति का दिमाग कैसा होगा, विवेकपूर्ण व्यक्ति ने इसी तरह की स्थिति पर कैसी प्रतिक्रिया व्यक्त की होगी। यदि परिस्थितियों में ऐसा कुछ नहीं था जो एक सामान्य विवेकशील व्यक्ति का ध्यान उस प्रकार के हानिकारक परिणाम की ओर आर्कषिक करता, तो आरोपी को 'लापरवाह' नहीं कहा जाता। उस शब्द का प्राकृतिक अर्थ संभावना के प्रति अपने मस्तिष्क को संबोधित करने में विफल होना है, यदि हानिकार परिणामों का जोखिम इतना मामूली था कि सामान्य विवेकशील व्यक्ति जोखिम पर उचित विचार करने पर इसे नगण्य मानने से नहीं चूकता, तो वह ऐसा कर सकता था। अभियुक्त को सामान्य अर्थो में लापरवाह बताया जायेगा, यदि उसने जोखिम पर विचार करते हुये इसे अनदेखा करने का निर्णय लिया हो। (इस संबंध में संभावित हानिकारक परिणामों की गंभीरता एक महत्वपूर्ण कारक होगी। जीवन को खतरे में डालना सबसे गम्भीर में से एक होना चाहिए)। तो, इस हद तक, यद्यपि कोई स्टीफेंसन और ब्रिग्स में अपीलीय अदालत द्वारा अपनाए गए प्रतिबंधित अर्थ को केवल 'लापरवाह' मानता है, यह अनुमान लगाना एक विशेष प्रकार का नुकसान हो सकता है

और फिर भी उसका जोखिम उठाना जारी रखता है, इसमें एक परीक्षण शामिल है, जिसे वर्तमान कानूनी शब्दजाल में आंशिक रूप से उद्देश्य के रूप में वर्णित किया जाएगा। आपराधिक दायित्व के प्रश्न शायद ही कभी यह पूछकर हल किए जाते है कि परीक्षण व्यक्तिपरक है या वस्तुनिष्ठ।''

14. आर वी. काल्डवेल (सुप्रा) के निर्णय को आर. वी. लॉरेंस(1981), 1 ऑल ईआर 974 में अनुमोदन के साथ उद्धृत किया गया है और अभिनिर्धारित किया गया कि:-

> ''किसी कार्य के कर्ता की ओर से लापरवाही यह मानती है कि परिस्थितियों में कुछ ऐसा है जिसने एक सामान्य विवेकशील व्यक्ति का ध्यान इस संभावना की ओर आकर्षित किया होगा कि उसका कार्य इस तरह के गंभीर हानिकारक परिणाम देने में सक्षम था। यह कि जो धारा अपराध का सृजन करती है उसका उद्देश्य रोकना था, और उन हानिकारक परिणामों से घटित होने का जोखिम इतना मामूली नहीं थाकि एक सामान्य विवेकशील व्यक्ति उन्हें नगण्य मानने में उचित महसूस करेगा। यह केवल तभी होता है कि कार्य करने वाला'
> स कार्य कर रहा है , यदि कार्य करने से पहले, वह या तो ऐसे किसी जोखिम की संभावना के बारे में कोई विचार करने के बारे में विफल रहता है या, यह पहचानते हुए कि ऐसा जोखिम था, फिर भी वह यह करने के लिए आगे बढता है।''

15. आम तौर पर, जैसा कि उच्च न्यायालय ने यह सही कहा है कि आरोप तय होने के बाद किसी भी चरण में आरोप संसोधित किए जा सकते हैं, लेकिन मौजूदा मामला ऐसा है जहां प्रथम दृष्टया भा.द.स. की धारा 302 लागू नहीं होती।

16. तदनुसार, अपील स्वीकार की जाती है। आरोपों को भा.द.स. की धारा 304 ए के साथ धारा 279 और 337 भा.द.स. में बदल दिया गया है।

अपील स्वीकृत की गयी।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी बीना जैन (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।